सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रवेश नीति

(राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के लिए)

एवं

शैक्षणिक सत्र–सारिणी

(राजकीय, अनुदानित एवं गैर अनुदानित महाविद्यालयों के लिए)

सत्र 2008–2009

आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	**प्रवेश नीति 2008–09**	
	प्रथम भाग स्नातक पाठ्यक्रम	1–4
	द्वितीय भाग स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	5–9
	तृतीय भाग विधि पाठ्यक्रम	10–11
	चतुर्थ भाग एम.फिल. पाठ्यक्रम	12
	पंचम भाग सामान्य नियम सभी संकायों हेतु	13–19
	षष्ठम भाग आरक्षण, रियायतें एवं लाभ	20–29
2.	**शैक्षणिक सत्र सारणी**	
	प्रथम भाग प्रवेश कार्यक्रम	30–32
	द्वितीय भाग सत्र की गतिविधियां एवं अवकाश	33–40

नोटः प्रवेश नीति सत्र 2008–09 राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के लिए तथा शैक्षणिक सत्र सारिणी राजकीय, अनुदानित एवं गैर अनुदानित महाविद्यालयों के लिए मान्य होगी।

प्रवेश नीति 2008–09

प्रथम भाग

स्नातक पाठयक्रम
कला / विज्ञान / वाणिज्य संकायों में प्रवेश के नियम

1.1 उपर्युक्त संकायों में स्नातक पाठयक्रमों के प्रथम भाग में प्रवेश हेतु मानदण्ड

क्र.सं	प्रवेशार्थियों का प्रकार	मानदण्ड
अ	राजस्थान में अवस्थित किसी भी विद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण **अथवा** राजस्थान के निवासी (पंचम भाग के नियम–2 में परिभाषित) जो राजस्थान राज्य के अलावा अन्य किसी स्थान से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण हो ।	अर्हकारी परीक्षा में 1.2 के अनुसार न्यूनतम प्राप्तांक
ब	राजस्थान के बाहर के ऐसे अभ्यर्थी जो राजस्थान के अलावा अन्य किसी स्थान से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा राजस्थान के निवासी न हो ।	अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक

1.2 स्नातक पाठयक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश की पात्रता
(बी.ए. / बी.काम. / बी.एस.सी.– सामान्य एवं ऑनर्स पाठयक्रम)

क्र. सं.	संकाय	अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत	
		सामान्य पाठ्यक्रम पास कोर्स	ऑनर्स पाठ्यक्रम
अ	कला	45	48
ब	वाणिज्य	45	48
स	विज्ञान	48	50

<u>टिप्पणियां :–</u>

1. महाविद्यालय में समस्त प्रवेश योग्य छात्रों को प्रवेश देने के उपरान्त भी यदि किसी कक्षा / वर्ग में स्थान रिक्त रहते हैं तो उन्हें आयुक्त, कॉलेज शिक्षा को सूचित करते हुए उपर्युक्त पात्रता में 3 प्रतिशत तक की छूट देकर वरीयता क्रम में भरा जा सकेगा ।

1 अ. कुछ विषय जिनमें प्रवेश चाहने वाले छात्रों की संख्या बहुत कम रहती है तथा महाविद्यालय में स्वीकृत वर्ग भी रिक्त रह जाते हैं तो उन्हें आयुक्त कॉलेज शिक्षा को सूचित करते हुए उपर्युक्त पात्रता में उत्तीर्णांक प्रतिशत तक की छूट देकर वरीयता क्रम में भरा जा सकेगा । **परन्तु इस आधार पर कोई नया वर्ग स्वीकृत नहीं किया जावेगा ।**

2. कृषि पाठ्यक्रम से उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिए सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियमों का पालन किया जावे । परन्तु पात्रता हेतु अंकों का प्रतिशत उपर्युक्त तालिका के अनुसार ही रहेगा ।

3. व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को केवल कला एवं वाणिज्य में ही प्रवेश दिया जा सकेगा , ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश योग्य सूची में वरीयता निर्धारित करने हेतु कुल प्राप्तांकों में अर्हकारी परीक्षा के अधिकतम अंकों का 5 प्रतिशत घटा दिया जायेगा ।

4. कला , वाणिज्य संकाय की प्रत्येक कक्षा / विषय के एक वर्ग में 80 विद्यार्थियों एवं विज्ञान संकाय की प्रत्येक कक्षा/विषय के एक वर्ग (सेक्शन) में कुल 70 विद्यार्थियों तक प्रवेश दिया जा सकता है ।

<u>प्रत्येक कक्षा / विषय में अधिकतम वर्गों की संख्या महाविद्यालय में उस विषय के व्याख्याताओं के वर्तमान स्वीकृत पदों के अनुपात में निर्धारित कार्यभार तक सीमित रहेगी ।</u>

5. स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में किसी कक्षा/विषय हेतु प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या 20 से कम (महिला महाविद्यालय के लिए 10) रहने की स्थिति में राज्य सरकार के स्पष्ट आदेश के बिना उस कक्षा / विषय को वर्तमान शिक्षण सत्र में जारी नहीं रखा जायेगा । किन्तु जन जातीय जिलों में स्थित महाविद्यालयों के लिए निर्धारित न्यूनतम संख्या में 25 प्रतिशत की छूट रहेगी तथा निम्न शिथिलीकरण मान्य होंगे :–

5 अ. स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष के वाणिज्य संकाय के सभी विषय तथा कला संकाय के अंग्रेजी, जैनोलॉजी, संगीत, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, राजस्थानी, संस्कृत, सिन्धी, फारसी, उर्दू एवं विज्ञान संकाय के भूगर्भ शास्त्र, गणित तथा भौतिक शास्त्र विषयों में छात्रों की संख्या न्यूनतम 20 के स्थान पर 10 की जाती है ।

5 ब. जिला स्तर पर स्थित महाविद्यालयों तथा नवीन प्रारम्भ किये महाविद्यालयों में किसी भी संकाय में छात्र संख्या 20 विद्यार्थियों से कम होने पर भी संकाय चालू रखा जावे । प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले छात्र संख्या को प्रवेश दे दिया जावे ।

5 स. नवीन प्रारम्भ किये महाविद्यालयों में पहले पांच वर्ष तक आवेदन करने वाले छात्र संख्या को प्रवेश दिया जाकर संकाय चालू रखा जावे ।

5 द. जिला मुख्यालय के अतिरिक्त छोटे महाविद्यालय जहां छात्र संख्या निम्नतम संख्या से कम रहती है उन महाविद्यालयों में छात्र/छात्राओं को जिला स्तर पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित छात्रों को प्रवेश हेतु स्थानान्तरित कर दिया जावे ।

5 य. जिला मुख्यालय एवं नवीन प्रारम्भ किये गये महाविद्यालयों के अतिरिक्त अन्य राजकीय महाविद्यालयों के लिए प्रवेश नीति यथावत रहेगी ।

6. केवल महिला महाविद्यालय में प्रवेश हेतु न्यूनतम प्रतिशत प्राप्तांकों की उपर्युक्त शर्त लागू नहीं होगी परन्तु इस आधार पर कोई नया वर्ग/विषय स्वीकृत नहीं किया जावेगा । यह छूट ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश पर लागू नहीं होगी ।

7. महिला महाविद्यालय ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश पर न्यूनतम प्रतिशत प्राप्तांकों की शर्त हेतु बिन्दु संख्या 1.2 में अंकित प्रावधान यथावत लागू होगा ।

8. जिन स्थानों पर राजकीय (सहशिक्षा) महाविद्यालय के अतिरिक्त राजकीय महिला महाविद्यालय भी संचालित है उन स्थानों पर सहशिक्षा महाविद्यालयों में उन कक्षाओं /विषयों में महिला अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा, जिन कक्षाओं /विषयों में अध्यापन की सुविधा महिला महाविद्यालय में उपलब्ध है।

9. विभिन्न संकायों के स्नातक प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के निम्नांकित संकायों के आवेदकों को प्रवेश दिया जा सकेगा।

क्र. सं.	आवेदित संकाय	विद्यालय स्तर के अर्हकारी परीक्षा का संकाय
1	कला	कोई भी संकाय
2	वाणिज्य	कोई भी संकाय
3	विज्ञान	केवल विज्ञान संकाय

1.3 कृषि पाठ्यक्रम के प्रथम भाग में प्रवेश

	कृषि पाठ्यक्रम के प्रथम भाग में केन्द्रीकृत (सेन्ट्रलाइज्ड) प्रवेश राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जे.ई.टी.) के आधार पर योग्यता क्रम से सम्बन्धित महाविद्यालयों में दिये जाते हैं ।

1.4 विभिन्न संकायों के ऑनर्स पाठ्यक्रमों में प्रवेश

	सारणी 1.2 के अनुसार ऑनर्स पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र छात्रों की योग्यता सूची बनाकर वरीयता क्रम में प्रवेश दिये जायेंगे, जिनमें सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियमों की पालना भी सुनिश्चित की जायेगी । पाठ्यक्रम में प्रविष्ट विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या 20 होनी चाहिए । ऑनर्स पाठ्यक्रम में एक बार प्रविष्ट हो जाने के बाद किसी विद्यार्थी को सामान्य पाठ्यक्रम (पास कोर्स) में परिवर्तन स्वीकृत नहीं किया जायेगा । किसी विषय में ऑनर्स पाठ्यक्रम में यदि 20 से कम विद्यार्थी प्रविष्ट होंगे तो प्राचार्य द्वारा वह पाठ्यक्रम इस सत्र के लिए स्थगित कर दिया जायेगा तथा विद्यार्थियों को अन्य वांछित कक्षाओं में प्रवेश देकर उनके द्वारा ऑनर्स कोर्स के लिए जमा किये गये शुल्क को समायोजित कर दिया जायेगा और इसकी सूचना प्राचार्य के हस्ताक्षरयुक्त पत्र द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा को दी जायेगी ।

1.5 संकाय / विषय परिवर्तन

	(अ) किसी भी संकाय में प्रवेश के बाद अपने संकाय परिवर्तन के इच्छुक छात्रों के आवेदन पर तब ही विचार किया जा सकेगा जब 1. इच्छित संकाय की कक्षा में स्थान रिक्त हों, तथा 2. परिवर्तन के इच्छुक छात्र के अंक इच्छित कक्षा में अंतिम प्रविष्ट छात्र के अंकों से कम न हों । (ब) उपर्युक्त (अ) में अंकित शर्तों की पूर्ति के पश्चात् भी संकाय परिवर्तन केवल निम्नानुसार ही स्वीकार्य होगा – विज्ञान संकाय से कला व वाणिज्य कला संकाय से वाणिज्य संकाय वाणिज्य संकाय से कला संकाय कला एवं वाणिज्य से विज्ञान संकाय (केवल विज्ञान विषयों के साथ अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिये) (स) विषय परिवर्तन के लिये आवेदनकर्ता विद्यार्थियों को मात्र एक विषय के परिवर्तन की अनुमति मात्र एक बार दी जा सकेगी, यदि उस विषय / विषय संयोजन (Subject Combination) में स्थान उपलब्ध हो । (द) संकाय / विषय परिवर्तन प्रवेश की अन्तिम तिथि से 15 दिन की अवधि में 50 / – रूपया संकाय / विषय परिवर्तन शुल्क जमा कराने पर ही किया जा सकेगा ।

1.6 अन्तराल के पश्चात् प्रवेश :

	(1) अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी यदि किसी कारणवश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले वर्ष के पश्चातवर्ती दो अकादमिक सत्रों तक नियमित छात्र के रूप में किसी महाविद्यालय का विद्यार्थी नहीं रहा है तो ऐसे अभ्यर्थी को भी स्नातक प्रथम भाग में प्रवेश दिया जा सकेगा । (2) दो अकादमिक सत्रों से अधिक अन्तराल व्यतीत होने के पश्चात् आवेदक को किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी । (3) ऐसे छात्र जो किसी सत्र में शैक्षिक संस्था का नियमित छात्र अथवा किसी विश्वविद्यालय का स्वयंपाठी छात्र अथवा किसी तकनीकी या प्रशिक्षण संस्थान में किसी पाठ्यक्रम का नियमित छात्र रहा हो, उस सत्रावधि को अन्तराल की गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा । (4) अन्तराल संबंधी उपर्युक्त नियम महिला अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होंगे ।

द्वितीय भाग

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
कला / विज्ञान / वाणिज्य संकायों में प्रवेश के नियम

2.1 **स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के मानदण्ड**

समस्त महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध) कक्षाओं में 10 +2 +3 से स्नातक उपाधि प्राप्त अभ्यर्थियों को निम्नांकित मानदण्ड एवं नियमानुसार प्रवेश दिये जायेंगे ।

क्र.सं	प्रवेशार्थी का प्रकार	पाठ्यक्रम	मानदण्ड
अ	राजस्थान में अवस्थित किसी विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण	एम.ए.	अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 48 प्रतिशत प्राप्तांक अथवा आवेदित विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक
		एम.कॉम.	अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 48 प्रतिशत प्राप्तांक अथवा आवेदित विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक
		एम.एस.सी.	अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक अथवा आवेदित विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक
ब	राजस्थान राज्य के बाहर अवस्थित किसी विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी	सभी संकाय	अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक

	टिप्पणियां
(1)	ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने (10+1+3) अथवा (10+2+2) के अन्तर्गत स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है, उनके लिये स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियम लागू होंगे ।
(2)	प्रवेश हेतु कुल निर्धारित स्थानों में अपर्याप्त प्रवेश की स्थिति में उपलब्ध रिक्त स्थानों पर प्रवेश हेतु संवर्ग 2.1 (ब) के प्रत्याशियों को (यदि उपलब्ध हों तो), महिला प्रत्याशियों को तथा जन जातीय क्षेत्र में स्थित महाविद्यालयों में प्रवेशार्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जा सकेगी ।
(3)	किसी भी छात्र को स्नातकोत्तर विषय में उस वर्ष की एक जुलाई को 26 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने की स्थिति में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा । अनुसूचित जाति/ जन जाति के प्रत्याशियों के लिए इस आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी, किन्तु निम्न पर आयु प्रतिबंध लागू नहीं होगा। (क) महिला अभ्यर्थी (ख) एम.एस.सी. में शिक्षक अभ्यर्थी
(4)	किसी प्रवेशार्थी को किसी भी राजकीय महाविद्यालय में स्नातकोत्तर कक्षाओं में नियमित प्रवेश की सुविधा दो बार (दो स्नातकोत्तर विषयों में अथवा एक स्नातकोत्तर विषय एवं एक विधि स्नातक पाठ्यक्रम) से अधिक नहीं दी जायेगी। यह प्रतिबंध महिला अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होगा ।
(5)	पूर्वार्द्ध में अनुत्तीर्ण छात्र को पुनः उसी विषय में पूर्वार्द्ध में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश नहीं दिया जायेगा । किन्तु उसे दूसरे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में स्नातक परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा तथा पूर्वार्द्ध में प्रवेश लेने के पश्चात छात्र बी.एड./पी.ई.टी./पी.एम.टी. में चयन होने पर या अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम में चयन होने के बाद टीसी लेकर महाविद्यालय छोड़कर चले जाते हैं तथा कतिपय कारणवश उनका प्रवेश नहीं होने पर पुनः उसी कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं तो रिक्त स्थान होने की स्थिति में आयुक्तालय को सूचित करते हुए एक बार पुनः प्रवेश दिया जा सकेगा।
(6)	विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश सामान्य / ऑनर्स स्नातक परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर दिया जा सकेगा।
(7)	अन्तराल के पश्चात् प्रवेश के संबंध में नियम 1.6 में दी गई शर्तें यथावत लागू होंगी । जिसमें स्नातक प्रथम भाग के स्थान पर स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध) पढ़ा जावे ।

2.2 <u>स्नातकोत्तर कक्षा में वर्ग/विषय/पेपर्स में स्थानों की सीमा</u>

(अ)	कला एवं वाणिज्य संकाय के स्नातकोत्तर विषयों में एक वर्ग में अधिकतम 40 अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है परन्तु 20 से कम होने पर विषय में प्रवेश नहीं दिया जाये । विज्ञान संकाय के विषयों के वर्ग में प्रवेश अधिकतम उतने ही स्थानों पर दिया जायेगा जितने स्थानों की आयुक्त, कॉलेज शिक्षा ने अनुमति दी है लेकिन वाणिज्य संकाय के सभी विषय तथा कला संकाय के चित्रकला, अंग्रेजी, हिन्दी, गृह विज्ञान, जैनोलॉजी, संगीत, दर्शन शास्त्र, लोक प्रशासन, मनोविज्ञान, राजस्थानी, संस्कृत, उर्दू, फारसी एवं विज्ञान विषय संकाय के भूगर्भ शास्त्र, गणित एवं भौतिक शास्त्र विषयों की पी.जी. कक्षाओं में छात्रों की न्यूनतम संख्या 20 के स्थान पर 10 की जाती है।
(ब)	स्नातकोत्तर स्तर पर किसी विषय हेतु उपलब्ध योग्य अभ्यर्थियों की संख्या 20 से कम (महिला महाविद्यालयों में 10) रहने की स्थिति में वह विषय उस शिक्षण सत्र के लिए स्थगित कर दिया जायेगा परन्तु जनजातीय क्षेत्रों में स्थित महाविद्यालयों को न्यूनतम संख्या में 25 प्रतिशत तक की छूट प्राप्त होगी ।
(स)	सभी संकायों के पूर्वार्द्ध /उत्तरार्द्ध में जहां एक से अधिक ऐच्छिक पेपर हों, वहां पूर्वार्द्ध में प्रविष्ट/ पूर्वार्द्ध के उत्तीर्ण छात्रों को वरीयता के आधार पर उपलब्ध विकल्पों में योग्यता क्रम में समायोजित कर दिया जाये । 5 से कम छात्र होने पर वह वैकल्पिक पेपर/शाखा वर्तमान सत्र में संचालित नहीं की जायेगी । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अधिकतम अनुदान प्राप्त करने के लिए जिन विज्ञान विषयों में स्नातकोत्तर स्तर पर छात्र संख्या 20 से कम है यदि उस विषय का कार्यभार नहीं बढता है तो उस स्नातकोत्तर (विज्ञान) विषय में छात्रसंख्या 20 कर दी जावे लेकिन किसी भी विशेष पेपर में छात्रसंख्या 5 से कम नहीं होनी चाहिए ।

2.3 <u>योग्यता का निर्धारण</u>

(अ) <u>समान संकाय में प्रवेश हेतु :</u>

प्रत्येक संकाय में स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश की योग्यता का निर्धारण निम्नांकित आधार पर किया जायेगा

1.	**स्नातक स्तर पर आवेदित विषय होने पर** अभ्यर्थी के द्वारा स्नातक पाठ्यक्रम के प्रथम भाग, द्वितीय भाग एवं तृतीय भाग की कक्षाओं के श्रेणी निर्धारण हेतु मान्य समस्त विषयों के प्राप्तांकों के योग में आवेदित विषय में उपर्युक्त कक्षाओं के प्राप्तांकों को जोड़ कर कुल प्राप्तांक प्रतिशत स्नातक परीक्षा के कुल पूर्णांक तथा आवेदित विषय के उक्त परीक्षाओं के पूर्णाकों के योग के आधार पर निकाला जायेगा, भले ही ये परीक्षायें भिन्न भिन्न विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण की गई हों । जिन विषयों की प्रायोगिक एवं सैद्धान्तिक दोनों प्रकार की परीक्षा होती है, उनमें दोनों का योग स्वीकार्य होगा । तत्पश्चात् यदि प्रवेशार्थी को कोई बोनस प्रतिशत देय है तो उसे जोड़कर कुल योग प्रतिशत से वरीयता का निर्धारण किया जायेगा। योग्यता सूची में दो छात्रों के अंकों का प्रतिशत समान होने की स्थिति में आवेदित विषय में अधिक प्राप्तांक वाले छात्र को वरीयता दी जायेगी ।
2.	**स्नातक स्तर पर आवेदित विषय न होने पर** विद्यार्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की कमी करने के बाद उपलब्ध प्रतिशत को मैरिट का आधार बनाया जायेगा । दोनों वर्गों की सम्मिलित योग्यता सूची के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा ।

टिप्पणी

यदि कोई अभ्यर्थी सम्बन्धित विश्वविद्यालय के नियमानुसार ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण है, तो अभ्यर्थी के लिये वरीयता सूची हेतु स्नातक स्तर के द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष एवं ब्रिज कोर्स के प्राप्तांक जोड़कर उसकी वरीयता निर्धारित की जानी चाहिए ।

ब <u>अन्य संकाय में प्रवेश हेतु</u>

पात्र अभ्यर्थियों के लिये विज्ञान से कला एवं वाणिज्य संकाय तथा कला से वाणिज्य संकाय तथा वाणिज्य से कला संकाय में परिवर्तन के लिए 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे । ऐसे अभ्यर्थियों की पृथक् योग्यता सूची बनाई जायेगी । स्नातक स्तर पर 55 प्रतिशत प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी ही प्रवेश के योग्य होंगे यदि स्थान रिक्त हो तथा न्यूनतम योग्यता रखने वाले सामान्य अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो आयुक्त कॉलेज शिक्षा से पूर्व अनुमति प्राप्त करके इस वर्ग के अभ्यर्थियों को 20 प्रतिशत से अधिक भी प्रवेश दिया जा सकेगा ।

स <u>योग्यता सूची में ऑनर्स स्नातक की प्राथमिकता का क्रम</u>

ऑनर्स स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत अंकों की वृद्धि कर योग्यता सूची तैयार की जायेगी । योग्यता क्रम में वरीयता के आधार पर प्रवेश दिये जायेंगे । यह लाभ उन अभ्यर्थियों को देय नहीं होगा जिन्हें सामान्य पाठ्यक्रम में उच्च प्रतिशत के कारण ऑनर्स की उपाधि दी गई है । सहायक (Subsidiary) विषय में प्रवेश लेने पर भी यह लाभ देय नहीं होगा ।

द यदि कोई अभ्यर्थी बी.ए./बी.एस.सी./बी.काम. की पुनः परीक्षा देकर अपने अंकों में वृद्धि कर लेता है तो उसकी योग्यता के निर्धारण के लिए बढ़े हुए अंक ही विचारणीय होंगे ।

2.4 <u>एक विषय से दूसरे विषय में स्थानान्तरण</u>

	यदि किसी अभ्यर्थी का नाम एक से अधिक विषयों की प्रवेश सूची में आ जाता है तो वह इनमें से किसी भी विषय में शुल्क जमा करा कर प्रवेश ले सकता है । यदि उसका नाम बाद में जारी की गयी किसी अन्य विषय की प्रवेश सूची में आता है तो उस विषय में 50.00 रूपये स्थानान्तरण शुल्क जमा करवाकर प्रवेश ले सकेगा और उसके द्वारा पूर्व में जमा कराया गया शुल्क समायोजित हो जायेगा । ऐसा स्थानान्तरण प्रवेश की अन्तिम तिथि से 15 दिन बाद तक ही स्वीकार्य होगा ।

तृतीय भाग

विधि संकाय में प्रवेश के नियम

3.1 विधि स्नातक पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष के मानदण्ड

	वह विद्यार्थी, जिसने किसी भी मान्य विश्वविद्यालय की स्नातक अथवा स्नातकोत्तर उपाधि कला/विज्ञान/वाणिज्य/भेषज (मेडीसन)/ अभियांत्रिकी/नर्सिंग,/पशु चिकित्सा/कृषि अथवा शास्त्री/आचार्य उपाधि/ आयुर्वेदाचार्य/ आयुर्वेद वाचस्पति उपाधि या इसके समकक्ष उपाधि जिसे विश्वविद्यालय ने उपर्युक्त उपाधि के लिए प्रस्तावित सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के लिए मान्यता दी हो । निम्नांकित मानदण्डों के अनुसार विधि स्नातक के पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश का पात्र होगा ।	
क्र.सं	प्रवेशार्थियों का प्रकार	मानदण्ड
	किसी विश्वविद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी	अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत प्राप्तांक
	टिप्पणियां	
1.	विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए स्नातकोत्तर स्तर की उपाधि के आधार पर पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कुल स्थानों के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।	
2.	स्नातक/ स्नातकोत्तर उपाधि के लिये श्रेणी निर्धारण में सम्मिलित विषयों/प्रश्न पत्रों के अंक ही जोड़े जायेंगे ।	
3.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) अभ्यर्थी को उक्त पाठ्यक्रम में उपरिवर्णित अर्हकारी परीक्षा में पात्रता अंक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की छूट दी जा सकेगी ।	
4.	अर्हकारी परीक्षा में पूरक परीक्षा के योग्य घोषित अभ्यर्थी प्रवेश के योग्य नहीं होंगे ।	
5.	पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को फोटो स्टेट प्रमाणित अंकतालिका के आधार पर शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर प्रवेश के लिए पात्र माना जा सकेगा । यह प्रावधान जिस विश्वविद्यालय में पुनर्मूल्यांकन पद्धति लागू है उनके लिये ही मान्य होगा ।	
6.	विधि प्रथम वर्ष में एक वर्ग में प्रविष्ट विद्यार्थियों की संख्या 80 से अधिक नहीं होगी तथा कुल 320 से अधिक विद्यार्थियों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा अतः किसी भी महाविद्यालय में स्वीकृत वर्गों की संख्या 4 से अधिक नहीं रहेगी ।	
7.	किसी अभ्यर्थी की प्रवेश पात्रता हेतु निर्धारित न्यूनतम प्राप्तांकों से एक अंक कम होने पर भी उसके प्रवेश पर विचार नहीं किया जायेगा ।	
8.	विधि पाठ्यक्रम में प्रवेश की पात्रता/वरीयता निर्धारण में 6.5 से 6.11 में अंकित रियायतें एवं लाभ सम्मिलित नहीं किये जायेंगे ।	

3.2 <u>योग्यता निर्धारण</u>

(अ)	स्नातक अथवा स्नातकोत्तर परीक्षा में से जिसमें प्राप्तांक अधिक हों, वह प्रवेश हेतु मान्य होंगे तथा योग्यता सूची एक ही बनाई जावे ।
(ब)	यदि कोई अभ्यर्थी बी.ए./बी.एस.सी./बी.काम. की पुनः परीक्षा देकर अंकों में अभिवृद्धि कर लेता है, तो बढ़े अंक योग्यता निर्धारण के लिये मान्य होंगे।
(स)	विधि स्नातक को किसी भी कक्षा में परित्यागकर्ता / कम उपस्थिति होने पर रोके गये/परीक्षा नहीं देने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश का मात्र एक अवसर आगामी सत्र में दिया जा सकेगा । विधि प्रथम वर्ष में पुनः प्रवेश हेतु आवेदक छात्रों को इस सत्र की वरीयता सूची में उसके स्थानानुसार ही प्रवेश दिया जा सकेगा ।
(द)	विधि की किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र को पुनः उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा ।

3.3 <u>विधि स्नातकोतर (एल.एल.एम.) में प्रवेश की पात्रता</u>

अर्हकारी परीक्षा (विधि स्नातक) में न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक । इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु कोई आयु सीमा लागू नहीं होगी ।

3.4 <u>विधि के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता</u>

इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश सम्बद्धक विश्वविद्यालय के संबंधित नियमों द्वारा शासित होंगे। सम्बद्धक विश्वविद्यालय में कोई प्रावधान नहीं होने की स्थिति में इनमें प्रवेश के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यादेश (256) का पालन किया जायेगा ।

चतुर्थ भाग

एम.फिल. पाठ्यक्रम

4.1 किसी भी संकाय/विषय में स्नातकोत्तर स्तर पर 55 प्रतिशत कुल प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी इस पाठ्यक्रम में प्रवेश के पात्र होंगे लेकिन अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम पात्रता 50 प्रतिशत कुल प्राप्तांक होगी । प्रवेश पूर्व निर्धारित स्थानों पर योग्यता क्रम के अनुसार किये जायेंगे ।

4.2 किसी विषय/पेपर्स में एम.फिल. अभ्यर्थियों की संख्या 5 से कम होने की स्थिति में उस वर्ष एम.फिल. कक्षा स्थगित कर दी जायेगी ।

पंचम भाग

सामान्य नियम

समस्त संकायों हेतु

5.1 प्रवेश अस्वीकार करने का अधिकार

प्राचार्य निम्नांकित स्थितियों में अभ्यर्थी का प्रवेश अस्वीकार कर सकते हैं :

1. ऐसा अभ्यर्थी, जिसने प्रवेश हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में कोई तथ्य जान बूझकर छिपाया हो अथवा मिथ्या प्रस्तुत किया हो ।
2. ऐसा अभ्यर्थी, जिसने शुल्क जमा कराने की घोषित तिथि तक महाविद्यालय में शुल्क जमा नहीं कराया हो ।
3. ऐसा अभ्यर्थी, जिसने आवेदन पत्र जमा कराने की घोषित अन्तिम तिथि तक आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया हो अथवा अपूर्ण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया हो।
4. ऐसा अभ्यर्थी, जिसने महाविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, जैसे रिश्वत अथवा आतंक इत्यादि ।
5. ऐसा अभ्यर्थी, जिसका प्रवेश सम्बद्धक विश्वविद्यालयों के नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य न हो ।
6. ऐसा अभ्यर्थी, जो पूर्व वर्षों में किसी बड़े दुराचार/ दुर्व्यवहार का अपराधी रहा हो या विश्वविद्यालय परीक्षा काल में कदाचार का दोषी रहा हो ।
7. परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के लिए बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा दण्डित किया गया हो ।
8. ऐसा अभ्यर्थी, जिसके विरूद्ध किसी शैक्षणिक अथवा अशैक्षणिक कर्मचारी के साथ परिसर में या परिसर के बाहर हिंसात्मक व्यवहार करने का आपराधिक मामला न्यायालय में विचाराधीन हो ।
9. ऐसा अभ्यर्थी जो न्यायालय के द्वारा नैतिक कदाचार अथवा किसी प्रकार के अन्य अपराध के कारण दोषी ठहराया गया हो ।
10. ऐसा अभ्यर्थी, जो प्रवेश प्रक्रियाके समय किसी शैक्षणिक/ अशैक्षणिक कर्मचारी के साथ दुराचार/दुर्व्यवहार अथवा गाली–गलौच करने का दोषी हो।
11. अभ्यर्थी के किसी अवांछनीय आचरण के कारण
12. प्रवेश हेतु स्थान उपलब्ध न होने के कारण
13. प्राचार्य अन्य उचित कारण के आधार पर भी प्रवेश के लिए मना कर सकता है ।

5.2 निवासी की परिभाषा : राजस्थान का निवासी, अभिव्यक्ति की व्याख्या निम्नांकित है:

(अ) जो राजस्थान में जन्मा हो (जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर) ।

(ब) जिसके माता/पिता पिछले पांच वर्ष से राजस्थान में निरन्तर निवास कर रहे हों। (इस कोटि के आवेदक को इस हेतु संबंधित जिले के कलेक्टर/एस.डी. ओ./ सहायक कलेक्टर अथवा तहसीलदार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।)

(स) जो राजस्थान सरकार अथवा राजस्थान सरकार के किसी उपक्रम अथवा राजस्थान सरकार के किसी अर्द्ध सरकारी संगठन के कर्मचारी का पुत्र/पुत्री हो।

(द) जो केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी उपक्रम अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी अर्द्ध सरकारी संगठन के राजस्थान में पदस्थापित कर्मचारी का पुत्र/पुत्री हो ।

(य) जो सेना (तीनों अंग) में या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल के राजस्थान में पदस्थापित कर्मचारी का पुत्र/पुत्री हो अथवा यदि किसी सैनिक व अधिकारी की नियुक्ति कुटुम्ब विहीन **स्थान** पर होती है तथा उसके कुटुम्ब को राजस्थान में आवास दिया जाता है तो ऐसे सैनिक / अधिकारी का पुत्र /पुत्री हो

(र) जो सेना (तीनों अंग) या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल में कार्यरत एवं राजस्थान के मूल निवासी का पुत्र/पुत्री हो (इस कोटि के आवेदक को इस हेतु संबंधित जिले के कलेक्टर / एस.डी.ओ./ सहायक कलेक्टर/ तहसीलदार का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।)

(ल) ऐसी महिला अभ्यर्थी, जो राजस्थान के निवासी से विवाह होने के पश्चात राजस्थान में रह रही है । (शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर)

5.3 <u>अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रवेश</u>

एक बार नियमित प्रविष्ट या स्वयंपाठी विद्यार्थी यदि अनुत्तीर्ण होता है या परीक्षा में नहीं बैठ पाता है अथवा परीक्षा फार्म नहीं भरने के कारण परीक्षा में सम्मिलित नहीं होता है अथवा उपस्थिति की न्यूनता के कारण परीक्षा देने से वंचित किया जाता है तो उसे उसी संकाय अथवा भिन्न संकाय की उसी कक्षा में पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा। लेकिन स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में प्रवेश देने के पश्चात छात्र बी.एड. /पीईटी/पीएमटी में चयन होने पर या अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम में चयन होने के बाद टीसी लेकर महाविद्यालय छोड़कर चले जाते हैं तथा कतिपय कारणवश उसका प्रवेश नहीं होने पर पुनः उसी कक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं तो रिक्त स्थान होने की स्थिति में आयुक्तालय को सूचित करते हुए एक बार पुनः प्रवेश दिया जा सकेगा एवं यदि विद्यार्थी ने पिछले सत्र में महाविद्यालय के नियमित छात्र के रूप में अन्तर विश्वविद्यालय/अन्तर राज्यीय/ अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लिया हो तो उसको उसी कक्षा में एक बार पुनः प्रवेश दिया जा सकेगा । यदि कोई विद्यार्थी एक संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त करने के बाद पुनः अन्य संकाय के पार्ट प्रथम में प्रवेश लेने हेतु आवेदन करता है अथवा कोई विद्यार्थी किसी कक्षा में उत्तीर्ण घोषित किये जाने के बाद अंक सुधार हेतु उसी कक्षा में प्रवेश लेने हेतु आवेदन करता है तो ऐसे छात्र को प्रवेश नहीं दिया जायेगा ।

5.4 पूरक परीक्षा के योग्य घोषित होने वाले अभ्यर्थी का प्रवेश

(अ) पूरक परीक्षा योग्य घोषित अभ्यर्थी आगे की कक्षा में निर्धारित तिथि तक प्रवेश ले सकेंगे । यदि उन्होंने प्रवेश की अन्तिम तिथि तक प्रवेश नहीं लिया है तो उन्हें पूरक परीक्षा के परिणाम में उत्तीर्ण घोषित होने के बाद नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा ।

(ब) किसी भी विषय में पूरक परीक्षा के योग्य घोषित अभ्यर्थियों को उसी विषय की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। विज्ञान संकाय के किसी भी विषय में पूरक परीक्षा के योग्य घोषित अभ्यर्थी को उस विषय के अतिरिक्त विज्ञान के अन्य विषय में प्रवेश पर विचार किया जा सकेगा किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों की पृथक् सूची बनाकर प्राचार्य द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा के आदेशानुसार कार्यवाही की जाये । ऐसे अभ्यर्थियों को कला और वाणिज्य संकाय के उन विषयों में प्रवेश दिया जा सकेगा, जिनके लिये वे पात्रता रखते हों।

कला एवं वाणिज्य संकाय के पूरक परीक्षा के योग्य घोषित अभ्यर्थियों को पूरक परीक्षा के विषय छोड़कर अन्य विषयों में पात्रता अनुसार प्रवेश दिया जा सकेगा।

(स) अर्हकारी परीक्षा में परीक्षा के योग्य घोषित अभ्यर्थी की पात्रता तथा योग्यता स्थान के निर्धारण के लिये पूरक परीक्षा के विषय/पेपर में अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के बजाय न्यूनतम उत्तीर्णांक जोड़े जायेंगे ।

(द) ऐसे पूरक परीक्षा योग्य घोषित विद्यार्थी जिन्होंने महाविद्यालय में नियमित छात्र के रूप में प्रवेश प्राप्त कर लिया है,उनके पूरक परीक्षा के परिणाम में अनुत्तीर्ण घोषित किये जाने पर उनका उक्त नियमित प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा । उसे कोई शुल्क लौटाया नहीं जायेगा ।

5.5 पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप उत्तीर्ण अथवा विलम्ब से परीक्षा परिणाम घोषित होने की स्थिति में प्रवेश

किसी विद्यार्थी के उसकी उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के फलस्वरूप अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण होने की स्थिति में उसे अगली कक्षा में प्रवेश के लिए तभी अनुमति दी जायेगी जब वह पुनर्मूल्यांकन के परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिन की अवधि में अथवा 31 दिसम्बर तक (जो भी पहले हो) प्रवेश हेतु आवेदन करे । पुनर्मूल्यांकन के परिणाम 31 दिसम्बर के बाद घोषित किये जाने की स्थिति में यदि विश्वविद्यालय नियमित प्रवेश दिये जाने की अन्तिम तिथि (31 दिसम्बर) में शिथिलता प्रदान कर देता है, तो उसी के अनुसार महाविद्यालय में प्रवेश दिया जा सकेगा । ये प्रावधान स्नातक द्वितीय भाग, तृतीय भाग एवं स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) में प्रवेश हेतु ही मान्य होंगे । किसी कारणवश परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित किये जाने की स्थिति में भी छात्रों के प्रवेश से संबंधित इसी प्रक्रिया के अनुसार निस्तारित किये जायेंगे ।

5.6 स्वयंपाठी अभ्यर्थियों का प्रवेश

स्नातक स्तर की कक्षाओं में स्वयंपाठी छात्रों को प्रवेश निम्नानुसार दिये जा सकेंगे:

क्र.सं.	आवेदनकर्ता अभ्यर्थी	प्रवेश हेतु मानदण्ड
1	प्रथम भाग में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी	1.1 की सारणी में निर्धारित न्यूनतम मानदण्डों के अनुरूप पात्रता होने पर प्रथम भाग में योग्यता सूची में वरीयता के अनुसार प्रवेश देय होगा ।
2	प्रथम भाग स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी, जिसका कोई पेपर बकाया न हो ।	न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक होने पर द्वितीय भाग में स्थान रिक्त होने पर प्रवेश देय होगा ।
3	द्वितीय भाग स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी, जिसका कोई पेपर बकाया न हो	न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक होने पर तृतीय भाग में प्रवेश देय होगा ।
4	प्रथम भाग एवं द्वितीय भाग की परीक्षा स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी	तृतीय भाग में प्रवेश देय नहीं होगा ।
	स्नातक द्वितीय एवं तृतीय भाग में स्वयंपाठी छात्रों के प्रवेश पर केवल उसी स्थिति में विचार किया जा सकेगा, जबकि समस्त नियमित छात्रों को प्रवेश देने के उपरान्त संबंधित कक्षा/वर्ग में स्थान रिक्त हों तथा वैकल्पिक विषयों का समूह महाविद्यालय में उपलब्ध हो । स्नातकोत्तर स्तर पर पूर्वार्द्ध स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को उतरार्द्ध में प्रवेश नहीं दिया जायेगा । महिला महाविद्यालयों में प्रवेश की इच्छुक महिला अभ्यर्थियों पर प्रथम या द्वितीय भाग में स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी के लिये न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक होने की अनिवार्यता लागू नहीं होगी । स्थान रिक्त होने की अवस्था में उन्हें उत्तीर्णांक तक प्रवेश दिया जा सकेगा ।	

5.7 स्थानान्तरण के आधार पर प्रवेश

(अ–1) किसी नगर/कस्बे में अवस्थित एक महाविद्यालय में प्रविष्ट विद्यार्थी का उसी नगर के दूसरे महाविद्यालय में स्थानान्तरण किसी भी संकाय /विषय में स्वीकार्य नहीं होगा ।

(अ–2) भिन्न–भिन्न स्थानों पर अवस्थित महाविद्यालयों में भी एक से दूसरे महाविद्यालय में स्थानान्तरण की अनुमति माता–पिता तथा प्रथम प्रवेश के समय घोषित संरक्षक के स्थानान्तरण जैसी विशेष परिस्थिति में ही दी जायेगी किन्तु माता–पिता के जीवित रहते अन्य कोई व्यक्ति संरक्षक नहीं हो सकेगा।

(ब–1) किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण के स्थान अथवा उसके निकटवर्ती स्थान या गृह स्थान पर (जहां ऐसी सुविधा उपलब्ध हो) उसके पुत्र/पुत्री संरक्षित को इस आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा ।

(ब–2) माता–पिता/संरक्षक के अतिरिक्त अन्य किसी अभिभावक के स्थानान्तरण की स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश इस आधार पर तभी स्वीकृत किया जा सकेगा, जबकि आवेदक के अंक इस सत्र में उस कक्षा में योग्यता क्रम में प्रविष्ट अंतिम छात्र के अंकों के बराबर हों या उससे अधिक हों तथा उस महाविद्यालय में रिक्त स्थान उपलब्ध हो ।

(स) द्वितीय/तृतीय वर्ष स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए रिक्त स्थान होने पर सम्बद्धक विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार ही विचार किया जायेगा ।

5.8 पात्रता हेतु विशेष शिथिलता

सभी पात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश देने के पश्चात् यदि किसी कक्षा/ विषय के स्वीकृत वर्ग में स्थान रिक्त रह जाये (विधि संकाय को छोड़कर) प्राचार्य ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश दे सकेंगे, जिनके कुल प्राप्तांक प्रवेश हेतु निर्धारित वांछित न्यूनतम पात्रता से केवल एक अंक कम हो ।

5.9 समान योग्यता स्थान होने पर प्राथमिकता

समान योग्यता वाले अभ्यर्थियों में से उपलब्ध रिक्त स्थान/स्थानों पर अभ्यर्थी के चयन हेतु प्राथमिकताएं : (1) यदि किसी कक्षा /विषय में लाभ के अंक प्राप्त छात्र और लाभ रहित अभ्यर्थी दोनों वरीयता सूची में समान योग्यता स्थान रखते हों तो उनमें लाभांश प्रतिशत से रहित छात्र को प्राथमिकता देते हुए उपलब्ध स्थान पर प्रवेश दिया जा सकेगा । (2) यदि उच्च माध्यमिक परीक्षा के प्राप्तांक भी समान हों, तो माध्यमिक परीक्षा में अधिक प्राप्तांक वाले छात्र को वरीयता दी जायेगी । (3) यदि माध्यमिक परीक्षा के प्राप्तांक भी समान हों, तो जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक हो उसे वरीयता दी जायेगी ।

षष्टम् भाग

आरक्षण, रियायतें एवं लाभ

6.1 अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के अभ्यर्थी–

	विधि संकाय सहित प्रत्येक संकाय की स्नातक, स्नातकोत्तर स्तर एवं एम. फिल के प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी परत को छोडकर) के अभ्यर्थियों के लिये क्रमशः 16 प्रतिशत,12 प्रतिशत एवं 21 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। इसके लिये अभ्यर्थी को जिला मजिस्ट्रेट/उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलेक्टर/तहसीलदार का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
अ	प्रत्येक संकाय के स्नातक प्रथम भाग की प्रत्येक कक्षा में तथा स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. के प्रत्येक विषय/कक्षा में उपर्युक्तानुसार स्थानों का आरक्षण किया जायेगा एवं तदनुसार पूर्ति की जायेगी ।
ब	सामान्य प्रवेश स्तर तक अंक प्राप्त करके प्रवेश पाने वाले अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के विद्यार्थियों की गणना आरक्षित नियतांश (कोटे) के अन्तर्गत नहीं की जायेगी । ये सभी सामान्य योग्यता सूची में सम्मिलित किये हुए माने जायेंगे ।
स	उपर्युक्त (ब) के अनुसार प्रविष्ट विद्यार्थियों के अतिरिक्त शेष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ावर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के अभ्यर्थियों को अर्हकारी परीक्षा के प्रवेश योग्यता प्रतिशत को कम करते हुए वरीयता के निम्नगामी क्रम में आरक्षित नियतांश पूर्ण होने तक प्रवेश दिया जा सकेगा ।
द	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी परत को छोडकर) हेतु आरक्षित स्थान प्रथमतः अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से ही भरे जायेंगे।
य	यदि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों की पूर्ति हेतु अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो ऐसे आरक्षित रिक्त स्थानों के लिए समाचार पत्र में विज्ञप्ति दी जाये जिसके लिए प्रवेश शुल्क जमा नहीं करवा सकने वाले उसी वर्ग के अभ्यर्थी भी पुनः आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे ।

र	यदि विज्ञप्ति के सात दिवस में कोई आवेदन पत्र नहीं आता है या कम आवेदन पत्र आते हैं तो अनुसूचित जाति के आरक्षित स्थानों को अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों से तथा अनुसूचित जन जाति के आरक्षित स्थानों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा ।
ल	इसके उपरान्त भी यदि किसी आरक्षित वर्ग के स्थान रिक्त रहते हैं तो उन्हें सामान्य वर्ग के प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा ।

6.2 विकलांग अभ्यर्थी (स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल.)

अ	प्रत्येक संकाय में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों में 3 प्रतिशत स्थान विकलांग अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित रहेंगे । यह आरक्षण सामान्य वर्ग सहित सभी वर्गों में संबंधित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध होगा ।
ब	स्नातकोत्तर स्तर एवं एम.फिल. पर आरक्षण विषयवार होगा । जहां यह संख्या एक से भी कम हो, वहां भी कम से कम एक स्थान आरक्षित रहेगा। विकलांग अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि को इसे सामान्य अभ्यर्थी से भरा जा सकेगा।
स	इस नियतांश में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को 3 प्रतिशत अतिरिक्त अंकों का लाभ भी दिया जा सकेगा । परन्तु उक्त लाभ किसी भी अभ्यर्थी को नियतांश (कोटा) भरने की पात्रता प्रदान करने हेतु ही देय होगा, योग्यता सूची में उच्च स्थान प्रदान करने के लिए नहीं ।
द	विकलांग अभ्यर्थी के लिए इस नियतांश (कोटे) में प्रवेश पाने हेतु विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । इस हेतु पुनर्वास केन्द्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा किन्तु जहां पुनर्वास केन्द्र नहीं है वहां सी.एम. एण्ड एच.ओ. अथवा इस हेतु अन्य अधिकृत समकक्ष चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र भी मान्य होगा ।
य	विकलांग अभ्यर्थियों को प्रवेश में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी ।

6.3 शिक्षक अभ्यर्थी

	प्रत्येक विषय की एम.एस.सी. कक्षा में एक स्थान शिक्षक अभ्यर्थी के लिए आरक्षित रहेगा, जिसका मनोनयन निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान के द्वारा किया जायेगा । अभ्यर्थी को प्रवेश तभी दिया जायेगा जब वह प्रवेश की न्यूनतम पात्रता रखता हो, अन्यथा इस आरक्षित स्थान को सामान्य स्थान मानकर प्रवेश की अन्तिम तिथि को सामान्य अभ्यर्थी से भर दिया जायेगा ।

6.4 कश्मीरी विस्थापित

1	प्रत्येक संकाय में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों में एक प्रतिशत स्थान कश्मीरी विस्थापितों के बच्चों हेतु आरक्षित रहेंगे । यह आरक्षण सामान्य वर्ग सहित सभी वर्गों में संबंधित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध होगा ।
2	कश्मीरी विस्थापित अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रवेश की अन्तिम तिथि को इसे सामान्य अभ्यर्थी से भरा जा सकेगा ।
3	इस नियतांश (कोटे)में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी को 3 प्रतिशत अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जा सकेगा परन्तु उक्त लाभ किसी अभ्यर्थी को नियतांश भरने की पात्रता प्रदान करने हेतु ही देय होगा, योग्यता सूची में स्थान प्रदान करने के लिए नहीं।
4	कश्मीरी विस्थापित अभ्यर्थी को इस नियतांश में प्रवेश पाने हेतु विस्थापित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

खेलकूद / सह शैक्षणिक/ शिक्षणेतर उपलब्धियों का लाभ

उपर्युक्त क्षेत्रों में उपलब्धि प्राप्त एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को प्रथम वर्ष के प्रवेश के समय निम्नानुसार लाभ दिया जा सकेगा, बशर्ते अभ्यर्थी ने यह उपलब्धि विगत तीन वर्षों में प्राप्त की हो । विद्यालय स्तर पर प्राप्त परिलाभ प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय तथा महाविद्यालय स्तर पर प्राप्त परिलाभ स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध में प्रवेश के समय ही दिया जावे ।

6.5 **खेलकूद**

	उपलब्धि	लाभ
अ	भारत सरकार के शिक्षा एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा में प्रतिनिधित्व	न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत पर प्रवेश

ब	राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले विजेता/उप विजेता दल की विश्वविद्यालय स्तरीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान ।	न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत पर प्रवेश
स	विद्यालय स्तरीय राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व	न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत पर प्रवेश
द	अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की वृद्धि ।
य	सम्बन्धित खेल के सरकार द्वारा गठित या मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय संगठन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान राज्य का प्रतिनिधित्व ।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की वृद्धि
र	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित खेलकूद प्रतियोगिता अथवा विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद अथवा संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित अन्तर्महाविद्यालय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 3 प्रतिशत की वृद्धि
ल	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित खेलकूद में स्कूल का प्रतिनिधित्व अथवा विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद या संस्कृत शिक्षा निदेशालय द्वारा आयोजित अन्तर्महाविद्यालय प्रतियोगिता संभाग स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 2 प्रतिशत की वृद्धि
व	केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित रीजन स्तरीय प्रतियोगिता में स्कूल का प्रतिनिधित्व	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 2 प्रतिशत की वृद्धि
श	केन्दीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित रीजन स्तरीय प्रतियोगिता में रीजन का प्रतिनिधित्व	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 3 प्रतिशत की वृद्धि
ष	आयुक्त, कॉलेज शिक्षा द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में विजेता / उप विजेता अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान 1. राज्य स्तर पर 2. संभाग स्तर पर 3. जिला स्तर पर	प्रवेश योग्यता सूची में वरियता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की वृद्धि 3 प्रतिशत की वृद्धि 2 प्रतिशत की वृद्धि

अंक लाभ प्राप्त करने हेतु अभ्यर्थियों को निम्नानुसार सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही प्राचार्य को प्रस्तुत करना होगा, जिसके अभाव में उचित लाभ देय नहीं होगा ।

क्र.सं.	वर्ग	जिनका प्रमाण–पत्र मान्य होगा
1	अ,ब,स	भारतीय खेल प्राधिकरण, खेल मंत्रालय, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आवंटित सम्बन्धित विश्वविद्यालय की क्रीड़ा परिषद, राज्य क्रीड़ा परिषद ।
2	द	विश्वविद्यालय क्रीड़ा परिषद
3	य	राज्य क्रीड़ा परिषद, भारतीय पर्वतारोहण संस्थान द्वारा अधिकृत संस्थायें
4	र तथा ल	उप निदेशक स्तर के अधिकारी/ विश्वविद्यालयीय क्रीड़ा परिषद/ निदेशक, संस्कृत शिक्षा द्वारा हस्ताक्षरित आयोजन सचिव द्वारा प्रदत्त, आयुक्तालय द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ।
5	व तथा श	आयोजन सचिव द्वारा प्रदत्त एवं उप निदेशक स्तर के अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ।
6	ष	आयुक्तालय द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
		उपर्युक्त लाभों के लिए निम्नलिखित खेलकूद ही मान्य होंगे : 1. एथलेटिक्स (क्रॉस कन्ट्री दौड़ सहित) 2. जलीय खेल (स्वीमिंग डाईविंग एवं वाटर पोलो) 3. बैडमिन्टन 4. बास्केटबॉल 5. शतरंज 6. क्रिकेट 7. साइकिलिंग 8. फुटबाल 9. हॉकी 10. कबड्डी 11. खो–खो 12. टेबिल टेनिस 13 टेनिस 14 वॉलीबॉल 15. हैण्डबाल 16. कुश्ती 17 भारोत्तोलन 18. जिमनास्टिक 19. जूडो

	20. मुक्केबाजी 21. वॉलक्लाइम्बिंग 22. तीरन्दाजी 23. निशानेबाजी 24 सॉफ्टबॉल

6.6 एन.सी.सी.

	उपलब्धि (विगत तीन वर्षों में)	लाभ
अ	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय अथवा महानिदेशक एन.सी.सी. द्वारा चयनित होकर देश का प्रतिनिधित्व ।	न्यूनतम उत्त्तीर्णांक प्रतिशत पर प्रवेश
ब	एन.सी.सी. की किसी शाखा में अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ कैडेट का पुरस्कार	न्यूनतम उत्त्तीर्णांक प्रतिशत पर प्रवेश
स	निम्नांकित में से किसी एक या अधिक के लिए चयनित होकर उस गतिविधि में भाग लेना ।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की वृद्धि
	1. गणतंत्र दिवस कैम्प	
	2. अखिल भारतीय एडवांस लीडरशिप कैम्प	
	3. पैरा जम्पिंग कोर्स	
	4. आधारभूत पर्वतारोहण कोर्स या किसी पर्वतारोहण अभियान (20000 फीट या उच्च पर्वत शिखर पर) में भाग लेना ।	
	5. छात्र/छात्रा विंग में सी सर्टिफिकेट बी ग्रेड के साथ प्राप्ति	
	6. जूनियर डिवीजन छात्र/छात्रा ए सर्टिफिकेट बी ग्रेड के साथ प्राप्ति	
	7. स्नो– स्कीइंगकोर्स	
	8. सीनियर अण्डर आफिसर रैंक पर नियुक्ति	
	<u>टिप्पणी :</u> गणतंत्र दिवस कैम्प की किसी प्रतियोगिता में प्रथम व द्वितीय स्थान पाने वालों को, पैरा जम्पिंग कोर्स में स्काइ डाइविंग कोर्स पूर्णकर्ता कैडेट को, एडवेन्चर माउण्टेनेयरिंग तथा एडवांस माउण्टेनेयरिंग कोर्स करने वाले को, सी सर्टिफिकेट ए ग्रेड और ए सर्टिफिकेट ए ग्रेड प्राप्त कैडेट को, प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु एक प्रतिशत अतिरिक्त अर्थात 6 प्रतिशत का लाभ देय होगा ।	

द	निम्नांकित गतिविधियों में भाग लेने अथवा निम्नांकित विशिष्टता अर्जित करने पर ।	
1	ऑल इण्डिया समर ट्रेनिंग कैम्प	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 3 प्रतिशत की वृद्धि
2	छात्र/छात्रा विंग का सी प्रमाण–पत्र सी ग्रेड के साथ	
3	ऑल इण्डिया बेसिक लीडरशिप कोर्स	
4	नियमित सुरक्षा सेना के साथ दो सप्ताह का अटैचमेन्ट कोर्स	
5	वॉटर स्कीइंग कोर्स	
6	जूनियर डिवीजन छात्र/छात्रा ए सर्टिफिकेट सी ग्रेड के साथ ।	
7	अण्डर ऑफीसर रैंक पर नियुक्ति	

6.7 पर्वतारोहण, शिलारोहण एवं वॉलक्लाइम्बिंगः

	उपलब्धि (विगत तीन वर्षों में)	लाभ
अ	मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय अभियान में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व	न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत पर प्रवेश
ब	शिक्षा मंत्रालय अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित एडवेंचर्स प्रोग्राम तथा 20,000 फीट या अधिक की ऊँचाई पर पहुंच	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 6 प्रतिशत की वृद्धि
स	विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा आयोजित एडवांस कोर्स	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की वृद्धि
इ	सरकार अथवा विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के पर्वतारोहण में बेसिक कोर्स	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 3 प्रतिशत की वृद्धि

6.8 राष्ट्रीय सेवा योजना

	उपलब्धि (विगत तीन वर्षों में)	लाभ
अ	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय युवा आदान–प्रदान कार्यक्रम दल की सदस्यता/राष्ट्रीय/ राज्य स्तर पर पुरस्कृत स्वयं सेवक	न्यूनतम अर्हतायें पूर्ण करने पर प्रवेश

ब	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन वर्षों में युवा एवं खेल विभाग द्वारा आयोजित एक बार गणतंत्र दिवस परेड (दिल्ली) राष्ट्रीय प्रेरणा शिविर अथवा राष्ट्रीय एकीकरण शिविर में भाग लिया हो तथा विशेष शिविरों में उपस्थिति एवं 240 घंटों का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 6 प्रतिशत की वृद्धि
स	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन वर्षों में राज्य स्तर/विभाग स्तर पर शिविरों में भागीदारी तथा एक विशेष शिविर में उपस्थिति एवं 240 घंटे का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की वृद्धि
द	प्रवेश के पूर्ववर्ती तीन वर्षों में एक विशेष शिविर में उपस्थिति एवं 240 घण्टे का सेवा कार्य करने का प्रमाण पत्र होने पर	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 3 प्रतिशत की वृद्धि

6.9 <u>रोवर, रेन्जर, स्काउट, गाइड</u>

	उपलब्धि (विगत तीन वर्षों में)	लाभ
अ	विश्व जम्बूरी में भारत का प्रतिनिधित्व अथवा भारत स्काउट / गाइड मुख्यालय द्वारा चयनित होकर किसी अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधि में भाग लिया हो अथवा राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति स्काउट/गाइड/रोवर/रेंजर पुरस्कार प्राप्त	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश
ब	राज्य पुरस्कार स्काउट/गाइड अथवा निपुण रोवर/रेंजर बैज प्राप्त किया जो राष्ट्रीय गतिविधि में राज्य का प्रतिनिधित्व कर्ता गत 3 वर्ष की अवधि में।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारित हेतु अभ्यर्थियों के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की वृद्धि
स	तृतीय सोपान स्काउट/गाइड अथवा प्रवीण रोवर/रेंजर अथवा स्टेट रोवरमूट/रेंजर मीट में भाग लिया हो, पर्वतारोहण का आधारभूत कोर्स कर्ता गत तीन वर्ष की अवधि में	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थियों के प्राप्तांक प्रतिशत में 3 प्रतिशत की वृद्धि

6.10 <u>सह शैक्षणिक गतिविधियां</u>

	उपलब्धि	लाभ
अ	भारत सरकार के मानव संसाधन विकास एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा अपने जीवनकाल में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया हो ।	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश केवल एक बार

ब	भारतीय विश्वविद्यालय संघ अथवा आई.सी.सी.आर. अथवा केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त ।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 6 प्रतिशत की वृद्धि
स	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय अथवा विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता/ उप विजेता दल के सदस्य, अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त अथवा अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता या केन्द्र सरकार के किसी विभाग द्वारा आयोजित अखिल भारतीय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय / राज्य का प्रतिनिधित्व **टिप्पणी:** उपर्युक्त (ब) एवं (स) के अन्तर्गत छूट का लाभ विश्वविद्यालय के किसी संघटक/ सम्बद्धक कॉलेज अथवा विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता के लिए देय नहीं होगा।	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 5 प्रतिशत की वृद्धि
द	राज्य शिक्षा विभाग द्वारा अथवा राज्य के किसी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय / विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी संस्था/ संभाग का प्रतिनिधित्व अथवा किसी महाविद्यालय द्वारा जिला अथवा संभाग स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के विजेता/उप विजेता दल के सदस्य अथवा एकल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 3 प्रतिशत की वृद्धि

6.11 <u>अन्य विशेष प्रकार के अभ्यर्थियों को देय लाभ</u>

	उपलब्धि	लाभ
अ	मृत राज्य कर्मचारी के पुत्र/पुत्री अथवा कॉलेज शिक्षा/प्रतिरक्षा सेवाओं में सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री	प्रवेश योग्यता सूची में वरीयता निर्धारण हेतु अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में 3 प्रतिशत की वृद्धि ।

	अथवा महिला अभ्यर्थी (केवल सहशिक्षा महाविद्यालयों हेतु यदि अभ्यर्थी द्वारा आवेदित संकाय/विषय में अध्ययन की सुविधा स्थानीय राजकीय महिला महाविद्यालय में उपलब्ध न हो।)	(एम.बी.ए., विधि, कम्प्यूटर व अन्य पेशेवर पाठयक्रमों में यह लाभ देय नहीं होगा ।)
ब	प्रतिरक्षा सेवाओं के सेवा में रहते हुए शहीद कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री	न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश
	<u>टिप्पणियां</u>	
1	नियम संख्या 6.5 से 6.11 के अन्तर्गत न्यूनतम उत्तीर्णांक पर प्रवेश को छोड़कर अन्य देय लाभ प्रवेश की पात्रता प्रदान करने हेतु स्वीकार्य नहीं हैं।	
2	उपर्युक्त लाभ प्राप्ति हेतु अभ्यर्थी को सम्बन्धित सक्षम अधिकारी/विभाग द्वारा प्रदत्त मूल प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि प्रवेश आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करनी होगी, जिसके अभाव में ऐसे किसी लाभ के लिए कोई अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा । प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति बाद में स्वीकार नहीं होगी। प्रवेश सूची में नाम आने पर मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।	
3	उपर्युक्त नियम 6.5 से 6.11 में वर्णित लाभों में से किसी एक का लाभ (जो अधिकतम हो) अभ्यर्थी को देय होगा, चाहे वह कितनी भी गतिविधियों में सम्मिलित क्यों न हो ।	
4	उक्त उपलब्धि एक से अधिक बार प्राप्त होने पर भी उन सबके लिए एक कक्षा में प्रवेश के लिए एक ही बार लाभ देय होगा ।	
5	विद्यार्थी द्वारा विद्यालय स्तर पर प्राप्त उपलब्धि का लाभ स्नातक भाग प्रथम तथा महाविद्यालय / विश्वविद्यालय स्तर पर प्राप्त उपलब्धि का लाभ स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध की कक्षा में प्रवेश हेतु केवल एक बार देय होगा ।	
6	उपर्युक्त में से किसी भी श्रेणी का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश आवेदन पत्र के साथ इस आशय का पृथक् से आवेदन पत्र देना होगा । इसके अभाव में यह लाभ देय नहीं होगा ।	

<u>विशेष :</u>

प्रवेश नीति 2008–2009 के नियमों में किसी प्रकार का मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नियम/परिनियम/ऑर्डिनेन्स मान्य होंगे । प्रवेश देते समय शैक्षणिक सत्र सारिणी में दिये गये निर्देशों की पूर्ण पालना की जाये । उपर्युक्त नियमों की क्रियान्विति में यदि किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव हो अथवा नियमों की व्याख्या में अस्पष्टता या भ्रम की स्थिति होने पर आयुक्तालय से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाये । नियमों के संबंध में आयुक्त, कॉलेज शिक्षा का निर्णय ही अन्तिम एवं मान्य होगा ।

आयुक्त
कॉलेज शिक्षा,
राजस्थान सरकार

शैक्षणिक सत्र सारिणी 2008–09

प्रथम भाग

प्रवेश कार्यक्रम

(अ) स्नातक स्तर पर प्रथम प्रवेश

1. आवेदन पत्र विक्रय प्रारम्भ	गुरूवार	5.6.08
2. आवेदन पत्र जमा होने की अन्तिम तिथि	सोमवार	16.6.08
3. अन्तरिम प्रवेश सूची का प्रकाशन	शुक्रवार	20.6.08
4. अन्तरिम प्रवेश सूची के अन्तर्गत प्रविष्ट विद्यार्थियों द्वारा शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि	शनिवार	28.6.08
5. प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची का प्रकाशन	सोमवार	30.6.08
6. शैक्षणिक सत्र प्रारम्भ	मंगलवार	1.7.08
7. शिक्षण कार्य प्रारम्भ	मंगलवार	1.7.08
8. संकाय/विषय परिवर्तन की अंतिम तिथि	मंगलवार	15.7.08

(ब) विधि एवं स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध) स्तर पर प्रथम प्रवेश :

1. आवेदन पत्र विक्रय प्रारम्भ	शुक्रवार	20.6.08
2. आवेदन पत्र जमा होने की अन्तिम तिथि	(अ) सोमवार	23.6.08 तक या
	(ब) सम्बद्धक विश्वविद्यालय की अर्हकारी परीक्षा का परिणाम घोषित होने के 15 दिन बाद तक (जो भी बाद में हो)	
3. प्रथम प्रवेश सूची का प्रकाशन	गुरूवार	26.6.08 या
	क्र.सं. ब–2 में उपलब्ध तिथि के 3 दिन बाद तक ।	
4. प्रवेश सूची के अन्तर्गत प्रविष्ट विद्यार्थियों द्वारा शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि	शनिवार	28.6.08 या
	क्र.सं. ब–3 में उपलब्ध तिथि के 4 दिन बाद तक ।	
5. प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची का प्रकाशन	सोमवार	30.6.08 या
	ब–4 में उपलब्ध तिथि के एक दिन बाद तक।	
6. शिक्षण कार्य प्रारम्भ	मंगलवार	1..7.08 या
	क्र.सं. ब–5 में उपलब्ध तिथि के अगले दिन ।	

नोट–

विधि संकाय सहित सभी संकाय के स्नातक स्तर पर पार्ट प्रथम, स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध एवं एम. फिल. में प्रवेश के लिए उपलब्ध सीटों से 200 प्रतिशत वरीयता सूची सामान्य व आरक्षित वर्गों के लिए अलग अलग प्रकाशित की जावेगी । महाविद्यालयों में उपलब्ध स्थानों तक वरीयता के आधार पर प्रवेश योग्य छात्रों से शुल्क की राशि नगद ली जायेगी और वरीयता सूची में दर्शाये गये शेष छात्रों से शुल्क की राशि ड्राफ्‌ट/सम्बन्धित महाविद्यालय की विकास समिति की रसीद के रूप में ली जावेगी, क्योंकि ऐसे छात्रों का प्रवेश स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही सम्भव हो सकेगा । इन छात्रों में से केवल उन छात्रों के ड्राफ्‌ट/ सम्बन्धित महाविद्यालय की विकास समिति की रसीद प्रवेश हेतु वरीयता क्रम में महाविद्यालय कोष में अन्तिम रूप से जमा किये जायेंगे । जितने स्थान शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि के बाद रिक्त रहेंगे, शेष छात्रों के ड्राफ्‌ट / सम्बन्धित महाविद्यालय की विकास समिति की रसीद वापिस लौटा दिये जायेंगे । यदि किसी कारणवश कुछ स्थान रिक्त रहते हैं तो अगले तीन दिन में उनके स्थान भरने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी । यह सूचना महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर भी लगा दी जाये । शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि के अगले दिन सभी विद्यार्थियों को कार्यालय में सम्पर्क कर अपने प्रवेश की सुनिश्चितता ज्ञात करनी होगी एवं अप्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा कार्यालय से ड्राफ्‌ट / सम्बन्धित महाविद्यालय के विकास समिति की रसीद वापिस लेने की जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी ।

(स) स्नातक / स्नातकोत्तर स्तर पर नवीनीकरण

विधि संकाय सहित सभी संकायों के स्नातक पार्ट द्वितीय एवं तृतीय तथा स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) प्रवेश के लिए सत्र 2008–09 में महाविद्यालय का नियमित अथवा पूर्व छात्र (एक्स स्टूडेन्ट) होना या विश्वविद्यालय द्वारा उच्च शिक्षा में प्रवेश योग्य घोषित करना ही पर्याप्त है । बशर्ते उसका व्यवहार व चरित्र संतोषजनक रहा हो ।

1. अण्डर टेकिंग प्रपत्र का वितरण	सोमवार	9.6.08 से
2. अण्डर टेकिंग प्रपत्र जमा कराने की तिथि	शुक्रवार	20.6.08
3. शिक्षण प्रारम्भ	मंगलवार	1.7.08

नोट–

1. विधि संकाय सहित सभी संकायों के स्नातक पार्ट द्वितीय एवं तृतीय तथा स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) की कक्षाओं में दिनांक 28.6.08 तक बिना अर्हकारी परीक्षा का परिणाम घोषित हुए छात्रों को अस्थाई प्रवेश दे दिया जायेगा तथा दिनांक 1.7.08 से नियमित अध्यापन कार्य प्रारम्भ कर दिया जावेगा । कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति नियमित रूप से उपस्थिति पंजिका में अंकित की जावेगी तथा उसी तिथि से उपस्थिति की गणना की जायेगी ।
2. सभी प्रवेश योग्य छात्रों को दिनांक 28.6.08 तक महाविद्यालय कार्य दिवसों में वांछित फीस का ड्राफ्‌ट / सम्बन्धित महाविद्यालय की विकास समिति की रसीद कार्यालय में एक अण्डरटेकिंग के साथ जमा करवाना होगा । अण्डरटेकिंग का प्रपत्र

महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा । अर्हकारी परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिन पश्चात् प्रवेश शुल्क स्वीकार नहीं होगा । अर्हकारी परीक्षा में अनुत्तीर्ण ऐसे छात्र, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अगली कक्षा में प्रवेश योग्य घोषित नहीं किया जाता, उनका अस्थाई प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा तथा उनके द्वारा जमा कराया गया ड्राफ्ट/ सम्बन्धित महाविद्यालय की विकास समिति की रसीद वापिस लौटा दी जाएगी।

<u>टिप्पणियां</u>

1. अन्तरिम प्रवेश सूची में नामांकित अभ्यर्थियों द्वारा विनिर्दिष्ट तिथि (नोटिफाईड डेट) तक शुल्क जमा नहीं कराने पर ऐसे अभ्यर्थियों का प्रवेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।
2. समस्त प्रवेश योग्य अभ्यर्थियों के प्रविष्ट होने के उपरान्त एवं प्रवेश हेतु और कोई भी फार्म उपलब्ध न होने के उपरान्त भी यदि किसी कक्षा/वर्ग में प्रवेश हेतु स्थान रिक्त रह जाये, तो प्राचार्य द्वारा इस प्रकार से उपलब्ध रिक्त स्थानों की समाचार पत्रों में विज्ञप्ति दी जावे एवं इसकी प्रति महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित कर इन स्थानों पर प्रवेश के लिए नवीन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे । सूचनापट्ट पर प्रदर्शित की जाने वाली इस सूचना में रिक्त स्थानों की संख्या जिस कक्षा/वर्ग में यह स्थान रिक्त हैं, तथा नवीन आवेदन पत्र स्वीकार करने की अन्तिम तिथि का स्पष्ट उल्लेख होगा । यदि इन रिक्त स्थानों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) हेतु आरक्षित स्थान भी उपलब्ध हों तो उनका विवरण भी अंकित किया जायेगा यदि टिप्पणी (1) में उल्लेखित अभ्यर्थी भी प्रवेश लेना चाहें तो उन्हें उपर्युक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत पुनः प्रवेश आवेदन पत्र भरना होगा । इस प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राप्त समस्त नये आवेदन पत्रों में से प्रवेश योग्य अभ्यर्थियों को कक्षा/वर्ग में उपलब्ध स्थानों पर वरीयता क्रम के अनुसार प्रवेश दिया जायेगा । अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति एवं पिछडा वर्ग (चिकनी परत को छोड़कर) के अभ्यर्थियों को उनके लिए आवंटित नियतांश (कोटा) पूरा न होने की स्थिति में प्रवेश नीति के पृष्ठ भाग 6.1 की अनुपालना सुनिश्चित की जाये ।
3. विधि प्रथम वर्ष में 80 प्रतिशत स्थान संबंधित विश्वविद्यालय के स्नातक (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) के परीक्षा परिणाम घोषित होने पर उपर्युक्त कार्यक्रमानुसार भरे जायेंगे एवं शेष 20 प्रतिशत स्थान, सम्बन्धित शहर में स्थित महाविद्यालयों में संचालित स्नातकोत्तर कक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित होने पर भरे जायेंगे ।

द्वितीय भाग

सत्र की गतिविधियां एवं अवकाश

1.	वर्ष 2008–09 के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारण एवं प्रकाशन	सोमवार	30.6.08 तक
2.	शैक्षणिक सत्र आरम्भ	मगलवार	1.7.08
3.	अध्यापन कार्य		
	(अ) स्नातक द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध) एवं विधि स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष	मंगलवार	1.7.08
	(ब) स्नातक प्रथम वर्ष	मंगलवार	1.7.08
	(स) स्नातकोत्तर पूर्वार्द्ध एवं विधि स्नातक प्रथम वर्ष	मंगलवार	1.7.08
4.	छात्रसंघ चुनाव	निर्देश प्राप्त होने पर सूचित किया जायेगा	
5.	छात्रसंघ का उद्घाटन	निर्देश प्राप्त होने पर सूचित किया जायेगा ।	
6.	नियमित छात्रों द्वारा परीक्षा फॉर्म भरना	सोमवार	8.9.08
7.	पूरक परीक्षाओं की समाप्ति	सोमवार	15.9.08
8.	प्रथम कक्षा टेस्ट	सितम्बर माह में	
9.	विश्वविद्यालय नामांकन	सोमवार	29.9.08
10.	दशहरा अवकाश	बुधवार शुक्रवार	8.10.08से 10.10.08
11.	स्वयंपाठी छात्रों द्वारा परीक्षा फॉर्म भरना	विश्वविद्यालय स्वयं व्यवस्था करें	
12.	दीपावली अवकाश	सोमवार शनिवार	27.10.08 से 8.11.08 तक
13.	दूसरा कक्षा टेस्ट	सोमवार	15.12.08
14.	शीतकालीन अवकाश	शुक्रवार मंगलवार	26.12.08 से 30.12.08 तक
15.	शैक्षणिक भ्रमण, अन्य सह–शैक्षणिक गतिविधियां तथा सांस्कृतिक सप्ताह पुरस्कार वितरण समारोह, राष्ट्रीय कैडेट कोर एवं रोवर स्काउट गाइड के शिविरों का आयोजन	शनिवार	31.01.09 तक
16.	प्री परीक्षा	सोमवार	19.1.09 से

17.	परीक्षा पूर्व अवकाश	परीक्षा प्रारम्भ होने के दो सप्ताह पूर्व	
18.	वार्षिक परीक्षाओं का प्रारम्भ		
	<u>(क) स्नातक</u>		
	स्वयंपाठी छात्रों हेतु	सोमवार	2.3.09 से
	नियमित छात्रों हेतु	मंगलवार	17.3.09 से
	<u>(ख) स्नातकोत्तर</u>	मंगलवार	17.3.09 से
19..	सत्र का अंतिम कार्य दिवस	गुरूवार	30.4.09
20.	परीक्षा परिणामों की घोषणा	मंगलवार	16.6.09
21.	नवीन सत्रारम्भ	बुधवार	1.7.09

<u>टिप्पणियां</u>

1. राज्य के किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय द्वारा कोई भी सह–शैक्षणिक अथवा शिक्षणेतर गतिविधियां दिनांक 31.1.09 के पश्चात् आयोजित नहीं की जायें ।
2. उपर्युक्त निर्धारित शैक्षणिक सत्र सारिणी में महाविद्यालय स्तर पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाये।
3. समस्त प्रायोगिक परीक्षाएं दिनांक 28.2.09 से पूर्व आयोजित कर ली जाएं । प्रायोगिक परीक्षाओं के दौरान कक्षाएं यथावत चलेंगी ।
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार 180 शैक्षणिक दिवस होने आवश्यक हैं ।

<u>नोट–</u>

1. कृषि संकाय के लिए महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा अनुमोदित शैक्षणिक सत्र लागू होगा तथा सेमेस्टर योजना के अतिरिक्त वार्षिक परीक्षा योजना के लिए आयुक्तालय द्वारा जारी शैक्षणिक सत्र सारिणी ही लागू रहेगी ।

सांस्कृतिक गतिविधियों का कलेण्डर सत्र 2008–09

क्र. सं.	प्रतियोगिता का नाम	महाविद्यालय स्तर (अक्टूबर / नवम्बर माह में आयोजन)	राज्य स्तर पर (दिसम्बर माह में आयोजन)
1	एकल गीत	समस्त राजकीय महाविद्यालयों में बिन्दु संख्या 1 से 5 तक की गतिविधियां अक्टूबर / नवम्बर माह में आयोजित कर राज्य स्तर के लिए प्रथम स्थान प्राप्त प्रतियोगी को चयनित किया जाये ।	1. एकल एवं समूह गीत प्रतियोगिता एम.एस.कन्या महाविद्यालय, बीकानेर में आयोजित होगी ।
	(क) शास्त्रीय		2. वाद्य संगीत प्रतियोगिता राजकीय पी.जी. महाविद्यालय, अजमेर में आयोजित होगी
	(ख) सुगम		3. एकल नृत्य प्रतियोगिता मीरा कन्या महाविद्यालय, उदयपुर में आयोजित होगी ।
2	समूह गीत		4. समूह नृत्य प्रतियोगिता जे.डी.बी. कन्या महाविद्यालय, कोटा में आयोजित होगी
3	वाद्य संगीत		
4	एकल नृत्य		
	(क) शास्त्रीय		
	(ख) लोक नृत्य		
5	समूह नृत्य		

नोटः– आयोज्य संस्था द्वारा उपर्युक्त प्रतियोगिता के संबंध में राजकीय महाविद्यालयों को भागीदारी हेतु आमंत्रित किया जायेगा । टीम प्रतिस्पर्द्धा में प्रतिभागियों की न्यूनतम संख्या 03 एवं अधिकतम 05 होगी तथा इस संख्या से कम प्रतिभागी होने पर उस महाविद्यालय की भागीदारी स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी ।

नियम :–

1. आयोजन संस्था 200 / – रूपये प्रति प्रतियोगिता रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में लेगी ।
2. यात्रा व्यय एवं अन्य व्यय छात्रकोष से किये जायेंगें ।
3. अतिरिक्त वित्तीय सहायता एम.एल.ए. / एम.पी. / स्थानीय प्रतिनिधि से ली जा सकती है ।
4. इन गतिविधियों को संचालित करने में जिन मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है उनके व्यय की पूर्ति महाविद्यालय में विकास समिति कोष में प्रस्ताव पारित कर उनकी पूर्वानुमति पश्चात् की जा सकेगी ।

साहित्यिक गतिविधियों का कलेण्डर सत्र 2008–2009

<table>
<tr><td colspan="4">जिला स्तरीय अन्तर महाविद्यालय वाद–विवाद, क्विज एवं काव्य पाठ (स्वरचित) प्रतियोगिता जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में अक्टूबर माह में निम्न प्रकार से आयोजित की जावेगी :–</td><td>राज्य स्तर प्रतियोगिता (नवम्बर / दिसम्बर) में आयोजित होगी।</td></tr>
<tr><td>जोन</td><td>जिले जिनके राजकीय महाविद्यालय भाग लेंगे</td><td>भाग लेने वाले महाविद्यालयों की संख्या</td><td>स्नातकोत्तर महाविद्यालय जिनमें गतिविधियां आयोजित होंगी</td><td rowspan="8">वाद विवाद एवं क्विज प्रतियोगिता जे.डी.बी. कन्या महाविद्यालय, कोटा में आयोजित होगी। काव्य पाठ (स्वरचित) आर.आर. महाविद्यालय, अलवर में आयोजित होगी ।</td></tr>
<tr><td>अजमेर</td><td>अजमेर, भीलवाडा, नागौर</td><td>17</td><td>एम.एल.वी. महाविद्यालय, भीलवाड़ा</td></tr>
<tr><td>भरतपुर</td><td>भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर</td><td>22</td><td>आर.आर. महाविद्यालय, अलवर</td></tr>
<tr><td>बीकानेर</td><td>बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ, चूरू</td><td>16</td><td>डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर</td></tr>
<tr><td>कोटा</td><td>कोटा, टोंक, बारां झालावाड़, बूंदी</td><td>19</td><td>राजकीय महाविद्यालय, टोंक</td></tr>
<tr><td>जयपुर</td><td>जयपुर, दौसा, सीकर,झुन्झुनू</td><td>19</td><td>राजकीय महाविद्यालय, दौसा</td></tr>
<tr><td>उदयपुर</td><td>उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ</td><td>20</td><td>राजकीय महाविद्यालय, चित्तौड़गढ़</td></tr>
<tr><td>जोधपुर</td><td>जोधपुर, पाली, सिरोही, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर</td><td>22</td><td>राजकीय बांगड महाविद्यालय, पाली</td></tr>
</table>

नियम :–

1. आयोजन संस्था 200/– रूपये प्रति प्रतियोगिता रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में लेगी ।
2. यात्रा व्यय एवं अन्य व्यय छात्रकोष से किये जावें ।
3. अतिरिक्त वित्तीय सहायता एम.एल.ए./एम.पी./स्थानीय प्रतिनिधि से ली जा सकती है ।
4. इन गतिविधियों को संचालित करने में जिन मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है उनके व्यय की पूर्ति महाविद्यालय में विकास समिति कोष में प्रस्ताव पारित कर उनकी पूर्वानुमति पश्चात् की जा सकेगी ।
5. जिला स्तर पर आयोजित साहित्यिक प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त प्रतिभागी ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेगा ।
6. किसी भी ग्रुप प्रतियोगिता में 03 से कम एवं 05 से अधिक प्रतिभागी नहीं होंगे ।
7. महाविद्यालय प्रत्येक गतिविधि में भाग लेने को बाध्य नहीं है ।

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति कैलेण्डर

क्र. सं.	नाम छात्रवृत्ति	नूतन/नवीनीकरण छात्रवृत्ति आवेदन पत्र आयुक्तालय में पहुंचाने की तिथि	आवेदन पत्रों की जांच अवधि	जांच उपरान्त आयुक्तालय द्वारा स्वीकृति जारी करने की अन्तिम तिथि	बिल आहरित कर डी. डी. बनवाकर भिजवाने की तिथि	संस्थाओं द्वारा छात्रवृत्ति वितरण करने की तिथि
1	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति	30 सितम्बर	15 नवम्बर	31 दिसम्बर	15 जनवरी	28 फरवरी
2	अध्यापकों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति	30 सितम्बर	15 नवम्बर	31 दिसम्बर	15 जनवरी	28 फरवरी
3	आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृत्ति	30 सितम्बर	15 नवम्बर	31 दिसम्बर	15 जनवरी	28 फरवरी
4	स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों/आश्रितों को देय छात्रवृत्ति	30 सितम्बर	15 नवम्बर	31 दिसम्बर	15 जनवरी	28 फरवरी
5	मृतक राज्य कर्मचारियों को देय छात्रवृत्ति	30 सितम्बर	15 नवम्बर	31 दिसम्बर	15 जनवरी	28 फरवरी
6	शोध छात्रवृत्ति	30 सितम्बर	15 नवम्बर	31 दिसम्बर	15 जनवरी	28 फरवरी
7	मैरिन इंजिनियरिंग छात्रवृत्ति	30 सितम्बर	15 नवम्बर	31 दिसम्बर	15 जनवरी	28 फरवरी
8	मिलिट्री कालेज देहरादून छात्रवृत्ति	30 सितम्बर	15 नवम्बर	31 दिसम्बर	15 जनवरी	28 फरवरी
9	इण्डो पाक छात्रवृत्ति	30 सितम्बर	15 नवम्बर	31 दिसम्बर	15 जनवरी	28 फरवरी
10	भूतपूर्व सैनिकों की पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति	31 दिसम्बर	10 जनवरी	26 जनवरी	15 फरवरी	28/29 फरवरी

11	कारगिल कार्यवाही में शहीद सैनिकों के आश्रितों को देय छात्रवृत्ति	30 सितम्बर	15 नवम्बर	31 दिसम्बर	15 जनवरी	28 फरवरी
12	ललितकला छात्रवृत्ति (संगीत)	30 सितम्बर	15 नवम्बर	31 दिसम्बर	15 जनवरी	28 फरवरी
13	ललितकला छात्रवृत्ति (कला)	30 सितम्बर	15 नवम्बर	31 दिसम्बर	15 जनवरी	28 फरवरी
14	उर्दू छात्रवृत्ति	30 सितम्बर	15 नवम्बर	31 दिसम्बर	15 जनवरी	28 फरवरी
15	महिला योग्यता छात्रवृत्ति	30 सितम्बर	15 नवम्बर	31 दिसम्बर	15 जनवरी	28 फरवरी
16	अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति	समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित तिथि	आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित तिथि के एक माह के अन्दर	फरवरी के अन्त तक	14 मार्च तक	31 मार्च तक
17	अनुसूचित जन जाति छात्रवृत्ति	समाज कल्याण विभाग द्वारा निर्धारित तिथि	आवेदन प्राप्ति हेतु निर्धारित तिथि के एक माह के अन्दर	फरवरी के अन्त तक	14 मार्च तक	31 मार्च तक

कार्य दिवस सत्र सारणी 2008–09

उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान

माह	रविवार	अन्य अवकाश	कार्य दिवस	
जुलाई, 08	4	–	27	सत्र प्रारम्भ 1 जुलाई, 2008
अगस्त, 08	5	2	24	
सितम्बर, 08	4	1	25	
अक्टूबर, 08	4	09	18	दशहरा अवकाश 8.10,08 से 10.10.08 तक दीपावली अवकाश 27 अक्टूबर, 08 से 8 नवम्बर 08 तक
नवम्बर, 08	5	8	17	
दिसम्बर, 08	4	6	21	शीतकालीन अवकाश 26 से 30 दिसम्बर, 08
जनवरी, 09	4	3	24	
फरवरी, 09	4	–	24	
मार्च, 09	–	–	–	स्वयंपाठी परीक्षा प्रारम्भ 2 मार्च, 2008 से
कुल शिक्षण दिवस			180	

1. सत्र 2008–09 का अन्तिम कार्य दिवस गुरूवार 30 अप्रेल 2009
2. प्रवेश प्रक्रिया 30 जून, 2008 तक पूर्ण की जानी है ।

3.	सत्र / शिक्षण कार्य प्रारम्भ	मंगलवार	1 जुलाई, 2008
4.	अन्तिम शिक्षण दिवस	शनिवार	28 फरवरी, 2009
5.	सत्र का अन्तिम कार्य दिवस	गुरूवार	30 अप्रेल, 2009
6.	परीक्षा अवधि	मार्च–अप्रेल, 2009 तक	
7.	ग्रीष्मावकाश	शुक्रवार मंगलवार	1 मई 2009 से 30 जून 2009 तक